राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 840वी बैठक दिनांक 27.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 840वीं बैठक दिनांक 27.03.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/15/2024	1 (a)	शिवपुरी	मुरूम खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
2.	P2/01/2023	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
3.	P2/38/2024	1 (a)	श्योपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	P2/39/2024	1 (a)	मंदसौर	लेटेराईट खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
5.	P2/41/2024	1 (a)	मंदसौर	लेटेराईट खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
6.	P2/12/2024	1 (a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	P2/03/2023	1 (a)	खरगौन	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	P2/04/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
9.	P2/43/2024	1 (a)	श्योपुर	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	P2/16/2024	1 (a)	बैतूल	ग्रेफाईट खदान	For Tor	स्पष्टीकरण
11.	P2/44/2024	1 (a)	मुरैना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	P2/13/2024	1 (a)	शिवपुरी	मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
13.	P2/05/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	P2/07/2023	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	P2/08/2023	1 (a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	P2/10/2023	1 (a)	आगर–मालवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	10521/2023	5 (e)	देवास	ग्रेफाईटजेड कोक	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	10343/2023	8 (a)	जबलपुर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	10713/2023	8 (a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	9694/2023	8 (a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Kept in Abyence

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

21.	10797/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
22.	9785/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
23.	9958/2023	1 (a)	बालाघाट	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
24.	10161/2023	1 (a)	दतिया	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
25.	9997/2023	1 (a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
26.	10738/2023	1 (a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
27.	8458/2021	1 (a)	सिवनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	10737/2023	1 (a)	बडवानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
29.	7417/2020	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
30.	10618/2023	1 (a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
31.	10586/2023	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
32.	10778/2023	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
33.	9684/2023	1(a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
34.	10749/2023	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
35.	9837/2023	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
36.	10768/2023	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
37.	9623/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
38.	1753/2019	8(b)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
39.	**मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ. ए. क 75/2023 (सुनील मुक्ती विरूद्व राज्य शासन व अन्य) में पारित आदेश के परिपालन बावत्।**					

1. **प्रकरण क्र. P2/15/2024 श्री धमेन्द्र रावत आत्मज स्व. श्री शांता रावत, निवासी– मंशापूरण मंदिर के पास, वार्ड नं. 01, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1960, ग्रम टोंगरा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर एवं बैरियर जोन में किये गये उत्खनन के संबंध में विस्तृत जानकारी के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. P2/01/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सतीश जायसवाल आत्मज श्री नंदकिशोर जायसवाल, निवासी–136, तिलक पाथ, पीपल अवार के पास, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 486 पैकी, ग्रम सुरपाला, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर खरगौन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. **प्रकरण क्र. P2/38/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सी.सी. स्टोन क्रेशर, प्रो. श्रीमति दीप्ती चौहान, निवासी– एच–102, सन वैली, न्यू कलेक्ट्रेट के पास, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 61446 घनमीटर प्रतिवर्ष (बोल्डर 5643, गिट्टी 50160 एवं एम.सेण्ड 5643 घनमीटर प्रतिवर्ष), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3229, ग्राम इकलौद, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 13482–87 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 08.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **श्योपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर एवं एम.सेण्ड प्लान्ट स्थापित नहीं किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक मानब बसाहट की सुरक्षा के दृष्टिगत ब्लास्टिंग के दौरान विशेष सावधानी बरती जायेगी।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. P2/39/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिंह आत्मज श्री निर्भय सिंह आंजना, निवासी– 237, ग्राम मऊखेड़ी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 50179 टीपीए एवं ओबर बर्डन 1994 टीपीए, रकबा 27.140 हेक्टेयर, खसरा 106, ग्रम खेजडियामेघा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

III. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. P2/41/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिंह आत्मज श्री निर्भय सिंह आंजना, निवासी– 237, ग्राम मऊखेड़ी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 50193 टीपीए एवं लेटेरिक मिट्टी 1956 टीपीए, रकबा 5.935 हेक्टेयर, खसरा 2811, 2812, ग्रम रूनिजा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मंदिर एवं पक्की सड़क से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. **प्रकरण क्र. P2/12/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश रावत आत्मज श्री वीरपाल सिंह रावत, निवासी– ग्राम व पोस्ट खडीचा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 70000 घनमीटर प्रतिवर्ष (गिट्टी 50000 एवं एम.सेण्ड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष), रकबा 3.99 हेक्टेयर, खसरा 929, ग्राम कालीपहाडी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों **(परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 7117–20 दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 11.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **शिवपुरी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर एवं एम.सेण्ड प्लान्ट स्थापित नहीं किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. P2/03/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष त्रिवेदी आत्मज श्री मनोज त्रिवेदी, निवासी–जैतापुर, सनावद रोड़ जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.902 हेक्टेयर, खसरा 477/1, 477/5, 476/2, ग्राम इदारतपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश क्र. 1371 दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 05.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना (बण्ड) से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 23 वृक्षों में से काटे जाने वाले 15 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 150 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. **प्रकरण क्र. P2/04/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल ओस्तवाल आत्मज श्री चन्द्रप्रकाश ओस्तवाल, निवासी– 14, पुराना अस्पताल रोड़ जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15105 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 43/10, ग्राम बड़ायला चौरासी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में SEAC के पत्र क्र. 65 दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से डॉ राजेन्द्र पाण्डेय, विधायक क्षेत्र क्र. 222 जावरा द्वारा की गई शिकायत की प्रति प्राधिकरण में दिनांक 20.03.2024 को प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत में ग्राम पंचायत बड़ायला चौरासी के ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा लेख किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के दौरान की जाने वाले ब्लास्टिंग से शासकीय हाई स्कूल एवं मकानों की छत व दीवारों को नुकसान पहुंचा है तथा कुछ समय पूर्व शासकीय हाईस्कूल में हादसा हुआ है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का भी पालन नहीं किया जा रहा है इत्यादि के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान न करते हुए योग्य कार्यवाही किये जाने का अनुरोध **किया गया है।**

अतः उक्त शिकायत की प्रति कलेक्टर, जिला रतलाम को भेजते हुए शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक स्थिति के संबंध में विस्तृत स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोनजा प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्र. P2/43/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिनव सिंह सिकरवार आत्मज श्री राघवेन्द्र सिंह सिरकवार, निवासी– ब्लॉक कॉलोनी, पाली रोड़, वार्ड नं. 08, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1833/क, ग्राम कराहल, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) श्योपुर के पत्र क्र. 11032 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 28.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **श्योपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. P2/16/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उर्मिलादेवी चंदन, सीईओ श्री दीनानाथ सिंह, निवासी– 121, इनफिनिटी टॉवर, नारायण ढाबोलकर रोड़, मुम्बई–400006 (म.प्र.) द्वारा ग्रेफाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30019 टन प्रतिवर्ष, रकबा 33.016 हेक्टेयर, खसरा 141, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 150, 151, 154, 924, 929, 930/1, 930/2, 931, 932, 933/1, 933/2, 933/3, 938, 939, ग्राम टीकरी, गौथाना एवं चिकलर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में श्री राशिद नूर खान, सामाजिक कार्यकर्ता, भोपाल द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर शिकायत की गई है :–

- मेसर्स उर्मिला दिलीप चंदन को मिले ब्लॉक से संबंधित वैधानिक कार्यवाही पूरी की जाकर उत्पादन को प्रारंभ किये जाने की अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है।
- मध्यप्रदेश सरकार खनिज साधन विभाग द्वारा समय सीमा वृद्धि मान्य किये जाने का आदेश कम्पनी को नहीं दिया है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- कंपनी ने ब्लॉक में आने वाली भूस्वामी हक की निजी भूमि के अर्जन से बार बार इनकार कर कलेक्टर बैतूल के समकक्ष प्रस्तुत भूअर्जन के प्रस्ताव स्वयं ही वापस ले लिया है।
- ब्लॉक बैतूल नगर पालिका की बाहरी सीमा में लगा हुआ है ग्राम टिकारी का अधिकांश हिस्सा बैतूल नगर पालिका की सीमा में लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका परिषद बैतूल से किसी तरह की अनापत्ति प्राप्त नहीं की।
- ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया प्रस्ताव में काटा पिटी की गयी है जिसकी पुष्टि ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित बताए गए सदस्यों से पृथक पृथक की जाना आवश्यक है।
- ब्लॉक में आने वाली वन भूमि में मेसर्स उर्मिला दिलीप चंदन को आवंटित नहीं की गई है, वन भूमि के बदल वैकल्पिक वन भूमि का भी विवाद है वह भी वन विभाग को आवंटित नहीं हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उक्त शिकायत की प्रति कलेक्टर, जिला बैतूल को भेजते हुए शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक स्थिति के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तदानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रति संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रेषित की जाये।

11. **प्रकरण क्र. P2/44/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री केशव सिंह आत्मज श्री आदिराम कुशवाह, निवासी– खलीपा कॉलोनी, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.220 हेक्टेयर, खसरा 468, ग्राम डमेजर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 872 दिनांक 14.07.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 13.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **मुरैना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. P2/13/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेश शिवहरे आत्मज श्री बाबूलाल शिवहरे, निवासी– नबाव साहब रोड़, चन्द्रा कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40013 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1960, ग्राम टोंगरा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 722 वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर एवं बैरियर जोन में किये गये उत्खनन के संबंध में विस्तृत जानकारी के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. **प्रकरण क्र. P2/05/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती आरती जैसवाल पत्नि श्री सचिन जैसवाल, निवासी– सुभाष वार्ड नं. 8, भैंसदेही, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4604 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 63/5, ग्राम खापावीरान, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को **मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित** अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक **20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 520 दिनांक 23.03.2018 एवं निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 23.03.2018 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 22.03.2028) तक के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.03.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. P2/07/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पवन ठाकुर आत्मज श्री कालूसिंह ठाकुर, निवासी– ग्राम चिफखोदरा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओबर बर्डन 1933 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 7/1, ग्राम मातमूर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश क्र. 1013 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 17.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. P2/08/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मूलचंद प्रजापति आत्मज श्री चुन्नीलाल प्रजापति, निवासी– खालवा, तहसील खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.450 हेक्टेयर, खसरा 403/2, ग्राम ढकोची, तहसील खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खण्डवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 25.05.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति दिनांक 26.04.2017 से 25.04.2027 तक प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 25.04.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से चारो ओर 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. **प्रकरण क्र. P2/10/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश शर्मा आत्मज श्री रामनारायण शर्मा, निवासी–ग्राम डोंगरगॉव, तहसील सुसनेर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 1326/4/2, ग्राम सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के पत्र क्र. 483 दिनांक 17.07.2023 एवं पत्र क्र. 1019 दिनांक 21.12.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **आगर–मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर एवं एम.सेण्ड प्लान्ट स्थापित नहीं किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. **Case No 10521/2023:** Prior Environment Clearance for Manufacturing of anode material - 20,000 MTPA in an area of 40.4686 ha. at (Khasra No. 566/1, 584, 592 & 599) Village-Sarsoda, Tehsil- Sonkatch, District- Dewas, (MP). Production Capacity: Manufacturing of Anode Material-20000, Gypsum-4350, Graphitized coke fines-15790, CPC fine-6329, Furnace building refactory waste-100 TPA by Dr. Satish Saini, Senior Manager - EHS, M/s TACC LIMITED, Village-Sirsoda, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas, (MP)-455118,.Envt. Consultant: M/s Perfact Enviro Solutions Pvt. Ltd. Delhi Category-5(e)

1. मेसर्स टीएसीसी लिमिटेड द्वारा खसरा नंबर 566/1, 584, 592 और 599 ग्राम–सिरसोदा (अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र)तहसील–सोनकच्छ, जिला–देवास, एमपी में प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 20000 एमटीपीए एनोड सामग्री के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।

2. EIA अधिसूचना 2006 के अनुसार सभी कार्बन ब्लैक विनिर्माण इकाइयाँ पेट्रोकेमिकल आधारित प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत सूची क्र. 5(ई) में सूचीबद्ध है।उक्त प्रकरण अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित है अतः प्रकरण 'बी' श्रेणी के अंतर्गत विचाराधीन है।

3. SEAC की 681वीं बैठक दिनांक 25.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 811 वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 1764 दिनांक 17.10.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

4. **उक्त** प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 723वीं दिनांक 16.02.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 04 से 14 तक अंकित है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : –

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/IND2/448561/2023
Case Considered in SEAC meeting for EC	706 SEAC Meeting dated 28/12/23 & 723 SEAC Meeting dated 16/02/24
Location of the Project	22°58'23.34"N,76°16'29.77"E 22°58'3.53"N, 76°16'23.40"E
Total allotted land	404686 SQM
Production Capacity (in MTPA)	Manufacturing of Anode Material– 20000 **By-Products** Gypsum-4350 Graphitized coke fines-15790 CPC fine-6329
Cost of Project	1800 Crore
Power requirement	103 MW-MPEB
Alternative Source of Power (D.G. Sets)	DG sets (500 KVA x 4 nos)
Total Water Requirement	2035 KLDand water source is Dewas Water Project Pvt. Ltd.
Total Waste water generation	507 KLD
Green belt Development	141640 SQM (35% of total area)
Effluent Treatment Plant	500 KLD
Sewage Treatment Plant	50 KLD
EMP cost (Capital)	20.12 Crore
EMP cost (Recurring)	2.21 Crore
Corporate Environmental Responsibility (CER)	9 Crore

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 723 वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से V विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

i. परियोजना प्रस्तावक परियोजना क्षेत्र के अंदर स्थित माइनिंग पिट (18240 sq.m.) को संरक्षण कर ECO पार्क के रूप में विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।

ii. Solid/Hazardous waste के निपटान के लिए संबंधित विभाग से वैध सदस्यता प्राप्त करें और उसकी प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ में अनिवार्य रूप से जमा करें।

iii. समिति के समक्ष की गई प्रतिबद्धता के अनुसार 35% ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

iv. कार्बन ब्लैक निर्माण के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी शर्तों /मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

v. इकाई के अंदर वायु प्रदुषण के नियंत्रण हेतु उचित उपाय करें।

18. **Case No 10343/2023:**Prior Environment Clearance for Expansion of Existing Hotel project "VIJAN MAHAL, (Total plot area is 13028.39 Sq.m. & Built-Up Area – 30900.70 Sq.m. (Existing Built-Up Area- 19,403.42 Sq.m. & Proposed Built Up Area- 11497.28 Sq.m.) at Khasra no. 107/1 (OLD), New No. 107/2 (Includes 107/26 & 107/27), 107/10, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/25, 107/29, 107/42, 107/43 & 114/2) Village:Tilheri, Tehsil & District: Jabalpur (Madhya Pradesh)by M/s Vijan Hotels Pvt. Ltd., Vijan Mahal Hotel Road, Tilheri, Tehsil and District Jabalpur (MP)-482002 Email:vijanhotel8a@gmail.comEnv Consultant: M/s. Vibrant Techno Lab Private Limited, Jaipur, (Rajasthan).

1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर 107/1 (पुराना), नया नंबर 107/2, (107/26 , 107/10, 107 /16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/25, 107/29, 107/42, 107/43, 114/2 और 107/27 ग्राम – तिलहेरी, तहसील एवं जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश) मेंस्थित मेसर्स विजन होटल्स प्रा. लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित होटल परियोजना "विजन महल" के विस्तार हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।

2. परियोजना का कुल भूखंड क्षेत्र 13028.39 वर्ग मीटर एवं निर्मित क्षेत्र –30900.70 वर्ग मीटर (मौजूदा निर्मित क्षेत्र–19,403.42 वर्ग मीटर एवं प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र– 11497.28 वर्ग मीटर) है।ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a)(निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000वर्ग मीटर तक)के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।

3. प्रोजेक्ट में वैध सीटीई और सीटीओ है।पहले सीटीई और सीटीओ के आधार पर काम चल रहा था। अब यह परियोजना विस्तार के लिए जा रही है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक(अर्थात् 30900.70 वर्ग मीटर) इसलिए पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता है।

4. **उक्त** प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 723वीं दिनांक 16.02.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 15 से 27 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 723 वीं बैठक दिनांक 16.02.2024की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से V विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

i- परियोजना के लिये आवश्यक पानी की आपूर्ति नगर निगम, के माध्यम से की जावेगी, अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जावेगा।

ii- सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त करें।

iii- परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv- मध्य प्रदेश प्रदूषन नियन्त्र बोर्ड से जारी से CTO का सर्टिफाइड अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर MPSEIAA में प्रति निर्माण के पूर्व जमा किया जाना सुनिश्चित करें ।

v- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vi- भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 30 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।

19. **Case No 10713/2023:**Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "CLIFFTON PALLADIUM" in an area of 2.358 ha. (70941.88 sq.m.) (Khasra no. 453/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 452/5,452/3/3/1,454/3/1), VillageMusakhedi, Tehsil-Indore, DistrictIndore (MP) by Shri Deepak Valbhani, Director, M/s Vertical Homes LLP, 206, Akashdeep Complex, Sapna Sangeeta Road, District-Bhopal (MP)- 452001,Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P Building & Construction Project 8(a)

1. यह परियोजना 2.358 हेक्टेयर क्षेत्र में (खसरा नंबर 453/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 452/5,452/3/3 /1,454/3/1), ग्राम–मूसाखेड़ी, तहसील–इंदौर, जिला–इंदौर (म.प्र.) में "क्लिफटन पैलेडियम" के प्रस्तावित निर्माण (70941.88 वर्ग मीटर) के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल भूखंड क्षेत्र 2.358 हेक्टेयर एवं निर्मित क्षेत्र –70941.88 वर्ग मीटर है।अतः ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
3. **उक्त** प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 723वीं दिनांक 16.02.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 28 से 43 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना <u>प्रस्तावक/पर्यावरण</u> सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 725 वीं बैठक दिनांक 20.02.2024की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से V विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में NBWL से अनापत्ति प्रमाण पत्र (Clearance) प्राप्त करने के उपरांत ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जायेगा।

ii. ग्राउंड वाटर पर निर्भरता काम करने हेतु जल आपूर्ति नगर निगम से की जाना सुनिश्चित करें।

iii. सॉलिड वेस्ट एवं एक्स्ट्रा ट्रीटेड वेस्ट वाटर के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर MPSEIAA में प्रति जमा करें।

iv. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

v. परियोजना प्रस्तावक अगर संभव हो तो पार्किंग एरिया को बढ़ाने हेतु प्रयास करें।

20. Case No 9694/2023: Environment Clearance for Sage Milestone Commercial & Residential Apartment in an area of 2.72 Ha. at Khasra No. 299/2, 298/2, 299/1, 298/3, 297/2, 298/1 & 304 Village-Samardha Kaliyasot, Tehsil Huzur, District-Bhopal, (MP) by Shri Sanjay Gupta, Authorized Signatory, Sage Milestone, (Residential Apartment), Village Samardha Kaliyasot, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)-**Violation project**

उक्त परियोजना **SOP dated 7th July 2021 and OM dtd 28th January 2022 Violation** के अंतर्गत **MPSEIAA** में पर्यावरण स्वीकृति हेतु पंजीबद्ध है। **Violation**प्रकरण के सम्बन्ध में MoEF&CC द्वारा *F.No.IA 3-3/4/2024-IA.III[E230791],* दिनांक *08-01-24*को ***Stay imposed by Hon'ble Supreme Court with reference to the SOP dated 7th July 2021 and OM dtd 28th January 2022-reg*** कार्यालयीन ज्ञापन जारी किया गया है जिसमे उल्लेख है :–

> *"4.....the Ministry issued an OM dated 28th January,2022 for circulating the above order of Hon'ble supreme Court to all the EAC and SEIAAs/SEACs.In view of the above observations of the Hon'ble supreme Court, violation proposals pertaining to all the States except the State of Tamil Nadu were being appraised at the Central level and the respective SEIAAs/SEACs.*
>
> *5. However,the Hon'ble Supreme Court in W.P.(c) No.1394/2023 titled Vanashakti vs. Union of India, has stayed the operation of both the Office Memoranda dated 7thjuly 2021 and dated 28th January 2022 issued by this Ministry".*

उक्त आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेश जारी होने तक violation **सम्बंधित परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा। *SEAC* परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबधितों को सूचनार्थ।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

21. **प्रकरण क्र. 10797/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री तीरथमल कोरकू, निवासी– बडे कटारे वाली गली, राकेश एडवोकेट के पास, त्यागी नगर, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10070 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 6/3, ग्राम सुपावली, तहसील ग्रिड, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा **को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 5003–08 दिनांक 13.04.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 12.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 09 वृक्षों में से काटे जाने वाले 02 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 20 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. **प्रकरण क्र. 9785/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव जैन आत्मज स्व. श्री रामेशचंन्द्र जैन, निवासी– 102, प्रकाश टॉकीज के सामने, एम.जी. रोड़, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12370 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 1268, 1269, ग्रम वनबना, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

है। अतः कलेक्टर उज्जैन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

23. **प्रकरण क्र. 9958/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री चंदर स्टोन क्रेशर भण्डारण यूनिट, पार्टनर श्री सुधीर चौधरी / संजय गौतम, निवासी गली नं. 05, वार्ड नंबर 26, प्रेम नगर, तहसील–बालाघाट जिला–बालाघाट (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता (पत्थर– 30,001 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.173 हे0, खसरा क्रमांक 41पी, ग्राम भानपुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा अपने लीज स्वीकृति आदेश दिनांक 03.01.2022 में खुदे हुए लीज क्षेत्र के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः कलेक्टर बालाघाट से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज क्षेत्र में पूर्व में किससे द्वारा उत्खनन किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

24. **प्रकरण क्र. 10161/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अशीष सिंह, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14040 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 935, ग्राम धमना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 679वी बैठक दिनांक 14.09.2023 एवं 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 47 मीटर की दूरी पर चेक डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार चेक डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. **प्रकरण क्र. 9997/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स देवश्री स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री धमेन्द्र पाटीदार आत्मज श्री मांगीलाल पाटीदार, निवासी– ग्राम देवरी खवासा, तहसील मनासा, जिला नीमच (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 24538 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हे0, खसरा क्रमांक 1839/2, ग्राम देवरी खवासा, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर क्रेशर होना परिलक्षित है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर स्थापित रहेगा या नहीं। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

26. **प्रकरण क्र. 10738/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रवीण सिंह पटेल आत्मज श्री योगेन्द्र सिंह पटेल, निवासी– ग्राम मेहतवाड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 2176, 2177, ग्रम आमलाताज, तहसील हाटपिपलिया, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

27. **प्रकरण क्र. 8458/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री रूपचंद मोहनानी आत्मज श्री हरूमल मोहनानी, निवासी–महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, तहसील सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 13708 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.93 हेक्टेयर, खसरा 144/1, 152/1, 149/1, 149/2, 150/1, 152/2, ग्राम कोठिया, तहसील सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी के पत्र क्र. 2137 दिनांक 02.03.2019 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 01.03.2029 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

28. **प्रकरण क्र. 10737/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रवीण राठौर आत्मज श्री रमेशचन्द्र राठौर, निवासी–पिसनावल, तहसील सेन्धवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 3000 एवं एम.सेण्ड 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 397, ग्रम पिसनावल, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर बड़वानी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

29. **प्रकरण क्र. 7417/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दीप इण्डस्ट्रीज, पार्टनर श्री अमित मिश्रा, निवासी–402, बड़ागांव गेट बाहर, झांसी (उ0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 8820 घनमीटर प्रतिवर्ष से 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हे0, खसरा क्रमांक 306, ग्राम बाबई, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर क्रेशर होना परिलक्षित है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन में जिन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है उसके संबंध में 30

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करना उल्लेखित है जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30. **प्रकरण क्र. 10618/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सौरभ गौराना आत्मज श्री विरेन्द्र गौराना, निवासी–तालनपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16719 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 9/1, ग्राम तालनपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार के पत्र क्र. 1607 दिनांक 06.06.2019 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 05.06.2029 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

31. **प्रकरण क्र. 10586/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भगवती लाल कुमावत आत्मज श्री भंवरलाल कुमावत, निवासी– मावता, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.923 हेक्टेयर, खसरा 393/2, ग्राम नांदवेल, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर के पत्र क्र. 1213 दिनांक 13.07.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 12.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर एवं एम.सेण्ड प्लान्ट स्थापित नहीं किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले बिन्ड मिल से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

32. **प्रकरण क्र. 10778/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज पोरवाल आत्मज श्री नंदकिशोर पोरवाल, निवासी– ग्राम आंत्री बुजुर्ग, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 420, 426, 492, ग्रम चपलाना, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर नीमच से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

33. **प्रकरण क्र. 9684/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुशवाह, निवासी– 541, आदर्श कॉलोनी, राम मनोहर लोहिया वार्ड, मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,11,762.56 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 728, 729, 737, 738, 739, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 817, 818, रकबा 24.850 हेक्टेयर, ग्राम जमुवानीकला, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में लीज स्वीकृति आदेश एवं SEAC के कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उक्त लीज क्षेत्र के अंदर से एवं लीज से लगा हुआ कच्चा रोड़ भी परिलक्षित है। अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष दस्तावेज सहित स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।

34. प्रकरण क्र. 10749/2023 परियोजना प्रस्तावक **श्री सुदामा चौकसे** आत्मज श्री नारायण चौकसे, निवासी–ग्राम डबाली रैयत, तहसील खकनार, जिला **बुरहानपुर (म.प्र.)** द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6000 **घनमीटर प्रतिवर्ष** एवं एम.सेण्ड 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, **रकबा 1.850 हेक्टेयर, खसरा 229, ग्राम तेलियाथड़, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बुरहानपुर के पत्र क्र. 944 दिनांक 26.09.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 25.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **बुरहानपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर एवं एम.सेण्ड प्लान्ट स्थापित नहीं किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

35. प्रकरण क्र 9837/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नि श्री शम्भू सिंह निवासी– ग्राम फुलवारी, पोस्ट पोंडी, नौगई जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 39960 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.650 हेक्टेयर, खसरा 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 266/1, ग्राम फुलवारी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली के आदेश क्र. 527 दिनांक 10.01.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 09.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) सिंगरौली जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

36. प्रकरण क्र 10768/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री तकीउल हसन रिजवी, निवासी– उभारिया, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.275 हेक्टेयर, खसरा 191/1, 219, 225/1, ग्राम सोमलापुर, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 856 दिनांक 07.07.2017 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.07.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक दोनो नालों से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

37. **प्रकरण क्र. 9623/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भैरूलाल व्यास, निवासी–16, सखवाल नगर, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 3/2, ग्राम सॉवलियारूंडी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र क्र. 1962 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.11.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

38. **Case No. – 1753/2014: EC amendment in** Infosys campus at Super corridor at village-Tigriya Badshah and Bada Bangarda, Tehsil-Hatod, DistIndore (MP). Existing EC Total Plot area - 5,26,415.55m2 Total Built up area- 3,00,489.74sq.m.by Shri Ramdas Kamath, Senior VP, M/s Infosys Ltd., Infosys Limited, Plot No. 44, Electronics City, Hosur Road, Bangalore-560100. Cat. 8(b) Building Construction Project. **Proposal No. :** SIA/MP/MIS/305764/2023

*उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन (*ammendment*) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।*

1. *इस परियोजना को MPSEIAA द्वारा पत्र क्रमांक 2041/SEIAA/2015 दिनांक 16/06/2015 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ।*
2. *उक्त प्रकरण में SEAC की 723 वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 128* से 136पर अंकित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत किया गया इंफोसिस अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के दृष्टिगत कार्यालय भवनों और फर्श योजनाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करने हेतु पूर्व के प्रस्तावित योजना में वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करना चाहते है। व्यावसायिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परियोजना में क्षैतिज रूप से (horizontally)विस्तार किया जाना है।इस प्रकार परियोजना में बिल्ट –अप एरिया को कम करते हुए निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया है :–

Items	As per accorded EC-2015	Proposed	Amendment	Remarks
Total Plot area	5,26,415.55 m2	-	5,26,415.55 m2	No Change
Ground coverage	34459.83m2 (6.55% of Net Planning area)	27,304.58 m2	61764.41 m2 (11.73% of Net Planning area)	Increase
FAR	1,77,631.31 m2	25,646.75 m2	2,03,278.06 m2	Increase
Non FAR (MLCP &	1,22,858.43 m2	Reduced	97,164.16 m2	Decrease

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Utility Block)		25,694.27 m2		
Total Built up area	3,00,489.74 m2	Reduced 47.52 m2	3,00,442.22 m2	Decrease
Total Green Area	3, 16,477.11 m2 (60.12%)	Reduced 6,184.55 m2	3,10,292.56 m2 (58.94%)	Decrease
Paved/ Open Area	1,35,379.18 m2 (25.71%)	12,682.87 m2	1,48,062.05 m2 (28.13%)	Increase
No. of Trees	42,200	3,880	3,880 Landscape and along boundary + 42,200 Green belt	Increase
Lake/Pond Area	-	6,295.88 m2 (1 in No.)	6,295.88 m2 (1 in No.)	No Change
Estimated population	13,040	Reduced 185	12,855	Decrease
Height of Building	Maximum 45.0 m (G+9 Floors)	-	Maximum 45.0 m (G+9 Floors)	No Change
Total Water Requirement	1559 KLD	Reduced 595 KLD	964 KLD	Decrease
Fresh Water Requirement	653 KLD	Reduced 309 KLD	344 KLD	Decrease
Waste Water Generation	825 KLD	Reduced 404 KLD	421 KLD	Decrease
STP Capacity	1000 KLD	Reduced 490 KLD	510 KLD	Decrease
Reuse Treated water	784 KLD	Reduced 286 KLD	498 KLD	Decrease
Organic Waste Generation	3000 kg/day	Reduced 1503.75 kg/day	1496.25 kg/day	Decrease
Inorganic Waste generation	732 kg/day	Reduced 233 kg/day	498.75 kg/day	Decrease
Parking Requirement	3316 ECS	Reduced 334 ECS	2982 ECS	Decrease
Power backup	4 no. x 2000 KVA = 8000 KVA	250 KVA	2x625 KVA +2x750 KVA + 2x1500 KVA+ 2x1250 KVA = 82	Increase
Power Requirement	5894 KVA	Reduced 240 KVA	5654 KVA	Decrease

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC द्वारा प्रकरण में 723 वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 मे की गई अनुशंसा व पूर्व मे सिया द्वारा जारी पत्र क्र 2041/SEIAA/2015 दिनांक 16/06/2015 में संशोधन को मान्य करते हुए पूर्व शर्तो को यथावत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित विन्दुओ में संशोधन कर पुनः संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

1. परियोजना मपें हुए संशोधन हेतु संबंधित विभागों (T&CP, नगर निगम, इन्दौर विकास प्राधिकरण आदि) से वैध अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
2. SEAC समिति में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार वृक्षारोपण कार्य किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. SEAC समिति में प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबधितों को सूचनार्थ।

39. मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ. ए. क 75/2023 (सुनील मुक्ती विरूद्व राज्य शासन व अन्य) मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 24.01.2024 को निराकृत कर दिया गया है इस हेतु प्राधिकरण को मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 27.01.2024 को प्राप्त पत्र के परिपालन में एवं जारी आदेश दिनांक 24.01.2024 के पैरा –13 में उल्लेखित निम्नुसार 07 प्रकरणों

13. Respondents have filed the reply, which are on record. Action Taken Report has been filed by the Joint Committee with the grant of EC as follows :-

S. No	Name of Mine	Name of crusher linked with mine	Details of EC	Max. Production Capacity (as Per EC) & Consent)	Validity of Consent
1	Baba Stone Mines (Prop. Shri Hemant Ku. Sharma, 3.00Hect), Patwari Halka No. 60, Survey No. 751, 1049/1, Gram:: Kheda, Pithampur, Dist: Dhar(M.P.)	Baba Stone Crusher, PatwariHalka No.60, Survey No. 751, 1049 /1, Gram Kheda, Pithampur, Dist Dhar (M.P.)	EC Granted by DEIAA Dhar L. No. 147 date d06/04/2017	14374 CubicMeter Per Year	04/07/2027
2	Ekta construction (Stone Mine) Survey no. 648,Village-Khandwa, Tehsil- Pithampur Dist:Dhar(M.P.)	Ekta construction (Stone Crusher/Sand plant), Survey No. 648, Village-Khandwa, Tehsil–Pithampur, Distt. Dhar (M.P.)	EC Granted by DEIAA Dhar L. No. 94 Dated 09/02/2017	20580 Cubic MeterPer Year	31/08/2024
3	Mohammad Shafi Stone Mine (2.00Hect.) Survey No.753, Village- Kheda, Tehsil- Pithampur, Distt. Dhar(M.P.)	Mohammad Shafi Stone Crusher, Survey No.753, Village-Kheda, Tehsil-Pithampur, Distt. -Dhar (M.P.)	EC Granted by DEIAA Dhar L. No. 58 dated 09/02/2017	10000 Cubic MeterPer Year	08/05/2026
4	Bhupendra Nahar StoneMine (2.00hect.) Survey No. 753, Village - Kheda, Tehsil Pithampur, Distt. Dhar (M.P.)	Bhupendra Kumar Nahar Stone Crusher Survey No. 753, Village-Kheda Tehsil Pithampur, Distt. Dhar (M.P.)	EC Granted by DEIAA Dhar L. No. 60 dated 09/02/2017	10000 Cubic Meter Per Year	10/05/2024
5	Sher Mohammad StoneMine (4.0Hact.) Survey No.753, 1048 Village-Kheda, Pithampur, Distt. Dhar (M.P.)	Sher Mohammad Stone Crusher Survey No.753, 1048, Village- Kheda, Pithampur Distt. Dhar(M.P.)	EC Granted by DEIAA Dhar L. No. 72 dated 09/02/2017	31373 Cubic Meter Per Year	13/09/2024
6	Rajesh Khare Stone Mine - 3.00 Hect. SurveyNo.1021, Village-Kheda, Pithampur Distt. Dhar (M.P.)	Rajesh Khare Stone Crusher, Survey No. 1021, Village- Kheda, ithampur Distt. Dhar (M.P.)	EC Granted by DEIAA Dhar L. No. 52 Dated 09/02/2017	20520 Cubic Meter Per Year	08/05/2024

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7	Rehan Khan Stone Mines. (3.50Hect.) Survey No.1021/1, Village-Kheda, Pithampur,Distt. Dhar (M.P.)	Rehan Khan Stone Crusher, Survey No. 1021/1, Village- Kheda, Pithampur, Distric Dhar (M.P.)	EC Granted by DEIAA Dhar L. No. 137 dated 06/04/2017	30000 Cubic Meter Per Year	06/06/2027

के सबंध में लेख है कि 03 प्रकरण SEAC में विचाराधीन है, 01 प्रकरण सिया की 224वी बैठक दिनांक 24.09.2015 को परयिोजना प्रस्तावक द्वारा withdraw कर लिया गया है। शेष 03 प्रकरण प्राधिकरण द्वारा डिया जिला धार को हस्तांतरित किये गये थे जिनका परियोजना प्रस्तावको द्वारा परिवेश पोर्टल (2.0) पर आनलाईन आवेदन नही किया गया है, आनलाईन आवेदन प्राप्त हाने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश के पैरा 15 अनुसार :–

15. Thus office notification makes it clear :-

i. *All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana & Ors.*

ii. *Only such mining leases may be continued which have been on re- appraisal granted environmental clearance by SEIAA.*

iii. *SEIAA shall re-appraise the ECs issued by DEIAA and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAA, as based on such appraisal.*

iv. *No mining shall be permitted to be continued without EC granted by SEIAA.*

v. *Meaning thereby, no person shall be permitted to continue for mining on the basis of EC granted by DEIAA."*

उक्त बिन्दुओं मे से बिन्दु क्र. iii प्राधिकरण से संबधित है जिसका परिपालन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(परिशिष्ट –1)

मानक शर्तें (गैर खनन के प्रकरणों ई–श्रेणी हेतु) :–

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उर्जा उत्पादन (Waste Heat Recovery Plant) के माध्यम से उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसी तरह उद्योग से उत्पन्न कार्बनडाई ऑक्साईड को खुले में न छोड़ा जाये तथा इसका पुर्न उपयोग सुनिश्चित करें।

3. रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग–अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाय किए जाए।

5. अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:

   - Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये। प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।
   - विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
   - उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें, जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।
7. सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।
8. संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।
9. ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।
    a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाही किया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों/झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।
    b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।
    c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।
10. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
11. परियोजना प्रस्तावक CER मे प्रस्तावित सभी कार्यों का क्रियान्यवयन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें।
12. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

14. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

15. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

16. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

17. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

18. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

19. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

20. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

21. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

22. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

23. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

24. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

25. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

26. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

27. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

28. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

29. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

30. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

31. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

परिशिष्ट –2

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु) :–

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.

7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. **For firefighting:-**

    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016.

    b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष